वीर प्रकाश शर्मा

बनाम

अनिल कुमार अग्रवाल व अन्य

01 अगस्त, 2007

(एस. बी. सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, न्यायाधिपति)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 482- अनुबंध का उल्लंघन - भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न अपराधों के सम्बंध में फौज़दारी परिवाद- खारिज किया गया - निर्णित: परिवाद के तथ्यों से किसी अपराध के घटित होने बाबत् तथ्य प्रकट नहीं होते - पक्षकारान के मध्य दीवानी प्रकृति का विवाद था - वाद कारण सम्बंधित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने के संदर्भ में कोई तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं हैं, अतः मजिस्ट्रेट के पास सम्मन जारी करने की अधिकारिता नहीं थी - अतः कोई अपराध नहीं बनता - प्रसंज्ञान लेने का आदेश रद्द किया गया - भारतीय दंड संहिता, 1860 कि धारा 406, 402 और 417

पक्षकारान ने वस्तुओं की बिक्री और खरीद के लिए अनुबंध किया। आरोप यह है कि अपीलार्थी ने माल की आपूर्ती के लिए देय कुछ राशि का भुगतान नहीं किया तथा उसके द्वारा जारी चैक अनादरित हो गये। प्रथम

उत्तरदाता ने अपीलार्थी विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 409, 402 और 417 के तहत परिवाद प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अपीलार्थी के विरूद्ध प्रसंज्ञान लेते हुये समन जारी किया। अपीलार्थी ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय ने निर्णित किया कि कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आरोप तथ्यात्मक प्रकृति के होने के कारण वर्तमान याचिका में निर्णित नहीं किये जा सकते। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील को स्वीकार करते हुये न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि-

1.1. मामलें के तथ्यों और परिस्थितियों में, कोई अपराध बनना प्रकट नहीं होता है। प्रसंज्ञान लेने के आदेश को निरस्त किया गया। (पैरा 11)(752-ई.)

2.1. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकारिता के उपयोग बाबत् अंर्तनिहित सिद्धांत यह है कि वस्तुतः यह देखा जाना चाहिए कि परिवाद में वर्णित आरोपों को यदि पूर्णरूप से सही होना मान लिया जाये तो क्या वे किसी अपराध को प्रकट करते है या नही। (पैरा 7)(749-जी)

2.2. पक्षकारान के बीच का विवाद वस्तुतः एक दीवानी विवाद था। माल की कीमत का भुगतान नहीं करने या कम भुगतान किये जाने से

अपने आप में छल या आपराधिक न्यासभंग के अपराध का गठन नहीं होता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 405 में परिभाषित आपराधिक न्यासभंग की परिभाषा को ध्यान में रखते हुये भी कोई अपराध होना दर्शित नहीं होता है। कोई भी ऐसा आरोप/आक्षेप प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा ना ही इस संदर्भ में एेसा कोई कथन किया गया है, जो धारा 405 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध के तत्वों को दर्शित करता हो। सामान्यतः चैक का अनादरण धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत अपराध होता है, परन्तु इस संदर्भ में कोई आक्षेप नहीं किया गया है। (पैरा 8) (पैरा 749-एच; 750-ए, सी, डी)

संदर्भः हृदय रंजन प्रसाद वर्मा व अन्य बनाम बिहार राज्य व अन्य (2000) 4 एस.सी.सी. 168 व इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम एन.ई.पी.सी. इंडिया लिमिटेड व अन्य (2006) 6 एस.सी.सी. 736

2.3. अपीलार्थी ने उत्तरदाता द्वारा प्रलोभन दिये जाने का कोई कृत्य किये जाने बाबत् आक्षेप प्रस्तुत नहीं किया है, तथा ऐसा भी कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि उत्तरदाता का आशय शुरूआत से ही अपीलार्थी को धोखा देने का रहा हो। परिवाद में तथा परिवादी व उसके साक्षियों द्वारा दिये गये बयानों में भी उत्तरदाता के पश्चातवर्ती आचरण को ही आक्षेपित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा ऐसे कोई कथन किये जाने कि दिनांक का भी परिवादी के साक्षीगण द्वारा खुलासा नहीं किया गया है।

यह मान लेना तर्कहीन है कि अपीलार्थी द्वारा एक ही वक्त पर, अपने ही ज़िले में, उन सभी के समक्ष ऐसा कोई कथन किया गया हो। उक्त तथ्य पूर्णरूप से अप्राकृतिक होना दर्शित होते है। (पैरा 9) (751-जी-एच; 752-ए)

2.4. विधिनुसार, मात्र इस आधार पर की, अपीलार्थी द्वारा जारी शुदा चैक अनादरित हो गये, यह नहीं माना जा सकता कि उसके द्वारा परिवादी के साथ छल किया गया हो। यदि यह मान भी लिया जावें कि ऐसा कोई कथन किया भी गया हैं, तो भी उससे अपीलार्थी द्वारा धारा 417 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध किये जाने बाबत् आशय दर्शित नहीं होता है। (पैरा 9) (752-बी)

2.5. यह स्वीकृत तथ्य है कि उन सभी के निवास अलग-अलग ज़िलों में है, तथा चैक अपीलार्थी द्वारा उसके निवास स्थान से ही जारी किया गया था। ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादहेतुक सम्बन्धित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में सृजित हुआ हो। यदि ऐसे कोई कथन किये भी गये हैं, तो वह उस स्थान पर किये गये हैं जहां अपीलार्थी निवासरत हैं। अतः मजिस्ट्रेट के पास समन जारी करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। (पैरा 10) (752-सी-डी)

संदर्भः मोसारफ हुसैन खान बनाम भागीरथ इंजिनियरिंग लिमिटेड व अन्य (2006) 3 एस. सी. सी. 658

आपराधिक अपीलिय न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील संख्या 980/2007

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध याचिका संख्या 11169/1987 में दिनांक 03.01.2006 को पारित निर्णय व आदेश के संदर्भ में

मोहन पाण्डे व एस.एस. बन्धोपाध्याय, अपीलार्थी की तरफ से

जितेन्द्र मोहन शर्मा, उत्तरदाता की तरफ से

यह निर्णय न्यायाधिपति श्री एस. बी. सिन्हा द्वारा दिया गयाः

1. अनुमति दी गई।

2. पक्षकारान द्वारा वैल्डिंग छड़ों की बिक्री और खरीद के लिए अनुबन्ध किया गया। अपीलार्थी के संदर्भ में यह आक्षेप प्रस्तुत किया गया है कि उसके द्वारा उक्त माल की आपूर्ति के पेटे बकाया कुछ रकम का भुगतान नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 1983 में दो चैक क्रमशः राशि 3,559/- रूपये व 3,776/- रूपये के जारी किये गये तथा दोनों ही चैक अनादरित हो गये। प्रथम उत्तरदाता द्वारा न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष इस आशय का परिवाद प्रस्तुत किया की अपीलार्थी का उक्त कृत्य धारा 406, 409, 402 व 417 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध है। न्यायालय द्वारा उक्त परिवाद सी.सी. नम्बर

132/1986 के तौर पर दर्ज किया गया। परिवाद में अपीलार्थी द्वारा वर्णित मुख्य आरोप निम्नानुसार है:-

"यह की, प्रार्थी द्वारा उक्त चैक व रूपयों के भुगतान के संदर्भ में अभियुक्त को कई बार लिखा गया तथा अपने प्रतिनिधि को भी अभियुक्त के पास भेजा गया, परन्तु अभियुक्त भुगतान करने बाबत बहाने बनाता रहा। अन्ततः अभियुक्त ने दिनांक 19.12.1985 को यह कहा कि उसके द्वारा जानबूझकर प्रार्थी के साथ छल करने व उसके रूपये हड़पने के आशय से कूटरचित चैक जारी किये गये थे तथा वह प्रार्थी के रूपयों का भुगतान नहीं करेगा। प्रार्थी अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।"

3. धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अपने बयानों में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा यह कथन किया गया है किः

"..... इस प्रकार दोनों ही चैक अनादरित हो गये। मेरे द्वारा चैकों के अनादरण के संदर्भ में अभियुक्त को लिखा गया तथा मैं स्वंय भी उसके पास गया तथा मेरे प्रतिनिधि को भी उसके पास भेजा, परन्तु अभियुक्त भुगतान करने के संदर्भ में बहाने बनाता रहा। अन्ततः उसने दिनांक 19.12.1985 को यह कहा कि उसने जानबूझकर प्रार्थी के साथ छल करने व उसके रूपये हड़पने के आशय से कूटरचित चैक जारी किये थे। उसने यह भी कहा कि वह उसके रूपयों का भुगतान नहीं करेगा। प्रार्थी अपनी

इच्छानुसार कोई भी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। मैं रिपोर्ट दर्ज कराने गया परन्तु थानाधिकारी द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई।''

4. गवाहान में से एक गवाह श्री राजेन्द्र कुमार सक्सेना द्वारा अपने बयानों में यह आक्षेप प्रस्तुत किया गया किः

''मैं वर्ष 1983 में हीरा इलेक्ट्रोनिक्स में सुपरवाईज़र के तौर पर कार्यरत था। अभियुक्त वीर प्रकाश द्वारा राशि 3,599.33/- रूपये व राशि 3,776.73/- रूपये की इलेक्ट्रिक छड़ियां कम्पनी से क्रय की गई थी। पश्चातवर्ती प्रक्रम पर अभियुक्त द्वारा चैकों के द्वारा भुगतान किया गया, परन्तु दोनों ही चैक बैंक द्वारा अनादरित कर दिये गये। तदोपरांत जब अभियुक्त से रूपयों के बारे में पूछताछ की गई तो अभियुक्त ने भुगतान करने से मना कर दिया तथा यह कहा कि उसने जानबूझकर छल कारित करने व रूपयें हड़पने के आशय से कूटरचित चैक जारी किये थे। तुम जो चाहो वो कर लो।''

5. एक अन्य गवाह ए. खालिक द्वारा भी इसी तरह के बयान दिये गये, जो निम्नानुसार दर्ज किये गये:-

''मैं शपथपूर्वक कथन करता हूॅ कि मैं वर्ष 1983 से हीरा इलेक्ट्रोनिक्स का कर्मचारी था। अभियुक्त वीर प्रकाश द्वारा वर्ष 1983 में राशि 3,599.33/- रूपये व राशि 3,776.73/- रूपये का सामान क्रय किया गया था। जिनके लिए बैंक के माध्यम से भुगतान किया गया था।

अभियुक्त द्वारा जारी दोनों चैक अनादरित हो गये थे। जब अभियुक्त से भुगतान हेतु ताईद की गई तो उसने कहा कि " मैंने जानबूझकर उसके साथ छल कारित करने व उसके रूपये हड़पने के लिए कूटरचित चैक जारी किये थे तथा मैं भुगतान नहीं करूंगा।"

6. अपीलार्थी के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया गया तथा उसे सम्मन किया गया। अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने हेतु दिनांक 25.08.1987 को याचिका प्रस्तुत की गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विद्वान एकल पीठ द्वारा दिनांक 03.01.2006 को आक्षेपित आदेश द्वारा अपना क्षेत्राधिकार नहीं मानते हुये, उक्त याचिका को निरस्त करते हुये यह कहा किः

" आवेदक के विरूद्ध आरोप तथ्यात्मक प्रकृति के है, जिन्हें हस्तगत याचिका के तहत निर्णित नहीं किया जा सकता हैं। आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किये जाने का कोई आधार नहीं हैं। स्टे ऑर्डर, यदि कोई हो, तो उसे वापिस लिया जाता है। विचारण न्यायालय को विचारण का त्वरित निस्तारण करने हेतु निर्देश दिया जाता है।"

7. धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अधिकारिता के उपयोग के संदर्भ में यह सुस्थापित सिद्धांत है कि, वस्तुतः यह देखा जाना चाहिए कि परिवाद में वर्णित आरोपों को यदि

पूर्णरूप से सही होना मान लिया जाये, तो क्या वे किसी अपराध को प्रकट करते है अथवा नही।

8. पक्षकारान के बीच का विवाद वस्तुतः एक दीवानी विवाद था। माल की कीमत का भुगतान नहीं करना या कम भुगतान किये जाने से अपने आप में छल या आपराधिक न्यासभंग के अपराध का गठन नहीं होता है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 405 में परिभाषित आपराधिक न्यासभंग की परिभाषा को ध्यान में रखते हुये हस्तगत प्रकरण में कोई अपराध घटित होना नहीं माना जा सकता है।

धारा 405 भारतीय दण्ड संहिता इस प्रकार है कि :

"जो कोई सम्पत्ति या सम्पत्ति पर कोई भी अख्त्यार किसी प्रकार अपने को न्यस्त किये जाने पर उस सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है, या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है, या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है, उसको विहित करने वाली विधि के किसी निदेश का, या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्ति या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस सम्पत्ति का उपयोग या व्ययन करता है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करता है, वह आपराधिक न्यासभंग करता है।"

उक्तानुसार परिभाषित उपबन्ध के तत्वों को दर्शित करते हुये कोई आरोप नहीं लगाया गया है तथा ना ही इस संदर्भ में कोई कथन किया गया है।

सामान्यतः चैक का अनादरण धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत अपराध होता हैं, परन्तु इस संदर्भ में कोई परिवाद नहीं किया गया है।

9. ऐसी स्थिति में हमारे समक्ष मात्र यह प्रश्न है कि क्या इस प्रकार की परिस्थितियों में छल की प्रकृति का कोई अपराध होना प्रकट होता है?

धारा 415 भारतीय दण्ड संहिता के तहत छल को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या यह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को रख लेवें या साशय उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे, या करने का लोप करे जिसे वह यदि उसे इस प्रकार प्रवंचित ना किया गया होता तो, न करता, या न करने का लोप ना करता, और जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति

सम्बन्धि या सांपत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती हैं, या कारित होनी सम्भाव्य हैं, वह छल करता है, यह कहा जाता है।''

हृदय रंजन प्रसाद वर्मा व अन्य बनाम बिहार राज्य व अन्य (2000) 4 एस.सी.सी. 168, में इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है किः

''14. उक्त धारा को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि उक्त परिभाषा में प्रवंचित किये जाने वाले व्यक्ति को दो भिन्न प्रकृति के कृत्यों बाबत् उत्प्रेरित किये जाने सम्बंधि उपबंध है। एक में उसे कपटपूर्वक या बेईमानी से कोई सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित किया जाता हैं, तथा दूसरी प्रकृति के कृत्य में प्रवंचित किये गये व्यक्ति को कोई ऐसा कृत्य किये जाने अथवा नहीं करने के लिए उत्प्रेरित किये जाने के सम्बन्ध में उपबंध हैं, जिन्हें वह व्यक्ति नहीं करता या करता, यदि उसे इस प्रकार प्रवंचित नहीं किया जाता। प्रथम प्रकृति के कृत्यों में उत्प्रेरणा कपटपूर्ण या बेईमानीपूर्ण होनी चाहिए तथा दूसरी प्रकृति के कृत्यों में उत्प्रेरणा कपटपूर्ण या बेईमानीपूर्ण नहीं होकर आशयतन होनी चाहिए।

15. प्रश्न का अभिनिर्धारण किये जाते वक्त संविदा के भंग व छल के अपराध के मध्य अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उत्प्रेरित किये जाने के समय अभियुक्त का आशय महत्वपूर्ण है, जिसे उसके पश्चातवर्ती आचरण से आंका जा सकता हैं, परन्तु अभियुक्त का पश्चातवर्ती आचरण

एक मात्र आधार नहीं हैं। मात्र संविदा का भंग किया जाना छल सम्बन्धि किसी आपराधिक अभियोजन को तब तक सृजित नहीं करता हैं, जब तक संव्यवहार के आरम्भ से ही कपटपूर्ण व बेईमानीपूर्ण आशय को दर्शाया नहीं जाता, उस वक्त ही अपराध घटित होना कहा जा सकता हैं। अतः आशय ही अपराध का सार हैं। किसी व्यक्ति को छल के अपराध के लिए दोषी माने जाने के लिए यह आवश्यक हैं कि यह साबित किया जायें कि करार किये जाते समय ही उसका आशय कपटपूर्ण या बेईमानीपूर्ण था। मात्र पश्चातवर्ती प्रक्रम पर करार को पूरा करने में विफल होने के आधार पर ही यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि उसका शुरूआत से ही दोषपूर्ण आशय था।" (इंडियन ऑयल कार्पोशन बनाम वी.एन.पी.सी. इंडिया लिमिटेड व अन्य (2006) 6 एस.सी.सी. 736)

धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के तत्व निम्नानुसार है:

(१) किसी व्यक्ति को प्रवंचित किया जाना;

(२) कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी व्यक्ति को कोई सम्पत्ति परिदत्त किये जाने के लिए उत्प्रेरित किया जाना, और

(३) यह सम्मति देना कि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को रखे रखेगा तथा, अंत में, साशय ऐसे व्यक्ति को कुछ करने या नहीं करने के लिए उत्प्रेरित किया जाना, जो वह नहीं करता या करता।

अपीलार्थी के द्वारा उत्प्रेरित किये जाने के संदर्भ में याचिकाकर्ता द्वारा कोई कथन नहीं किया गया है। ऐसा कोई आरोप भी नहीं लगाया गया है कि शुरूआत से ही अपीलार्थी का आशय याचिकाकर्ता को धोखा देने का रहा हो।

परिवाद में जो भी कुछ परिवादी व उसके साक्षीगण द्वारा आक्षेपित किया गया हैं, वह अपीलार्थी के पश्चातवर्ती आचरण के संदर्भ में हैं। जिस दिनांक को अपीलार्थी द्वारा ऐसे कथन आक्षेपित रूप से किये गये, उस दिनांक का भी वर्णन परिवादी के साक्षीगण द्वारा नहीं किया गया है। यह मान लेना तर्कहीन है कि अपीलार्थी द्वारा एक ही वक्त पर, अपने ही ज़िले में, उन सभी के समक्ष ऐसा कोई कथन किया गया हो। उक्त तथ्य पूर्णरूप से अप्राकृतिक होना दर्शित होते हैं।

विधिनुसार, मात्र इस आधार पर की, अपीलार्थी द्वारा जारीशुदा चैक अनादरित हो गये, यह नहीं माना जा सकता कि उसके द्वारा परिवादी के साथ छल किया गया हो। यदि यह मान भी लिया जावें कि ऐसा कोई कथन किया भी गया हैं, तो भी उससे अपीलार्थी का धारा 417 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध किये जाने बाबत् आशय दर्शित नहीं होता है।

10. इसके अलावा यह स्वीकृत तथ्य हैं, कि उन सभी के निवास अलग-अलग ज़िलों में है। अपीलार्थी जहां ज़िला आज़मगढ़ का निवासी हैं, वहीं प्रत्यर्थी ज़िला रामपुर का निवासी हैं। स्वीकृत तौर पर चैक अपीलार्थी

द्वारा उसके स्थान पर ही जारी किये गये थे। अभिलेख पर ऐसा कोई तथ्य नहीं हैं, जिससे यह माना जा सके कि सम्बन्धित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वाद कारण सृजित हुआ हो। यदि ऐसा कोई कथन किया भी गया है तो, वह स्वीकृत तौर पर अपीलार्थी के निवास के स्थान पर ही किया गया है। अतः विद्वान मजिस्ट्रेट के पास सम्मन जारी करने की कोई अधिकारिता नहीं थी। (देखेंः मोसारफ हुसैन खान बनाम भागीरथ इंजिनियरिंग लिमिटेड व अन्य (2006) 3 एस. सी. सी. 658)

11. उपरोक्तानुसार आक्षेपित निर्णय निरस्त किया जाता हैं तथा प्रसंज्ञान आदेश खारिज किया जाता हैं। अपील स्वीकार की जाती है। प्रकरण के तथ्य और परिस्थितियों से कोई अपराध घटित होना प्रकट नहीं होता हैं।

एन.जे.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी युवराज सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।